

विभाग का नाम :- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

विभाग का पता :- एल. एम. बंद कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031

तारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या :- अतारांकित 31

दिनांक :- 19/03/2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पंकज पुष्कर

क्या सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ड्रेनों के किनारों पर या अन्य स्थानों पर कुल कितनी भूमि है, कृपया अनुमानित क्षेत्रफल के साथ सभी संबंधित सिविल डिवीजन (2, 6, 9 तथा 10 सिविल डिवीजन) के हिसाब से सूची उपलब्ध करवाने की कृपा करें;	विधानसभा क्षेत्र तिमारपुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ड्रेनों के किनारों पर या अन्य स्थानों पर लगभग 916745 वर्गमीटर भूमि है। संबंधित सिविल डिवीजन के हिसाब से सूची (क) में संलग्न हैं
(ख) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में किन किन जमीनों पर अतिक्रमण है, प्रत्येक सिविल डिवीजन के हिसाब से विवरण उपलब्ध करवाने की कृपा करें;	तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण का विवरण संलग्न सूची (ख) में दिया गया है।
(ग) उक्त प्रकार के अतिक्रमणों के संदर्भ में जनता या जनप्रतिनिधियों से अब तक प्राप्त शिकायतों का व शिकायतों की पावती की तिथि सहित विवरण क्या है; और	उक्त प्रकार के अतिक्रमणों के संदर्भ में जनता या जनप्रतिनिधियों से अब तक प्राप्त शिकायतों का व शिकायतों की पावती की तिथि सहित विवरण संलग्न सूची ग एवं घ में दिया गया है। ;
(घ) उक्त अतिक्रमण के मामलों पर विभाग के द्वारा प्रत्येक शिकायत के संदर्भ में की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण क्या है ?	उक्त अतिक्रमण के मामलों पर विभाग के द्वारा प्रत्येक शिकायत के संदर्भ में की गई कार्रवाई का तिथिवार विवरण संलग्न सूची ग एवं घ में दिया गया है। ;

शुक्र
कार्य संपन्न

सूची क

कुल भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर मे।

खंड 2	267400
खंड 6	22466
खंड 9	253930
खंड 10	372949
कुल	916745

अतिक्रमण विवरण

खंड	अतिक्रमण स्थान	अनुमानित क्षेत्रफल वर्गमीटर में
खंड 2	कोई अतिक्रमण नहीं।	लागू नहीं होता।
खंड 6	कोई अतिक्रमण नहीं।	लागू नहीं होता।
खंड 9	1- निकट मंदर डेयरी, वजीराबाद 2- गली नं 1, वजीराबाद 3- विपरीत रामघाट, वजीराबाद	525 60 12800
खंड 10	1- जहांगीरपुरी नाला, आर डी 975 से आर डी 1200 मीटर 2- जहांगीरपुरी नाला आर डी 3490 से 4800 3- रोड़ नं 50 से टेल रेगुलेटर	3200 1200 2200

अतिक्रमणों से संबंधित शिकायतों एवं कार्यवाही का विवरण

खंड	शिकायत प्राप्त का विवरण/शिकायत में उठाया मुद्दा	शिकायत प्राप्त की तिथि सि०बा०नि० विभाग	शिकायत प्राप्त की तिथि खंडीय कार्यालय	कार्यवाही दिनांक सहित
2	कोई अतिक्रमण नहीं।			लागू नहीं होता।
6	कोई अतिक्रमण नहीं।			लागू नहीं होता।
9	आफताब अहमद	19-7-2016	सिविल डिवीजन 9	दिनांक 19-7-2016 को एस एच ओ तिमारपुर को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया व दिनांक 14-10-2016, 27-5-2017, 02-06-2017 को भी एस एच ओ तिमारपुर को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया तथा 31-8-2017 को एस डी एम सिविल लाईन जो कि एस टी एफ के कन्वीनर भी हैं को अतिक्रमण हटाने के लिये आग्रह किया गया।
9	श्री जगबीर सिंह गहलोत अध्यक्ष हरिजन पिछड़ा वर्ग ग्राम सुधार समिति रजि० पता आफिस गली न० 5 गांव वजीराबाद दिल्ली, (अतिक्रमण , विपरीत रामघाट वजीराबाद)	15-02-2017	सिविल डिवीजन 9	दिनांक 15-3-2017 को एस डी एम सिविल लाईन को निशानदेही के लिये अनुदेह किया गया ताकि जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में है दिनांक 23-03-2017 व 06-04-2017 एस एच ओ को पत्र लिखा कि वहां अतिक्रमण को रोका जाए और डीसीपी डिस्ट्रिक्ट नार्थ को दिनांक 25-3-2017 व 7-4-2017 अतिक्रमण रोकने के लिए लिखा गया तथा दिनांक 25-4-2017 को उपायुक्त एम सी डी (उत्तर) को विपरीत रामघाट के अतिक्रमण के बारे में सूचित किया गया। एस डी एम (सिविल लाईन) को दूसरी बार सूचित किया गया कि निशानदेही की तारीख तय की जाए व अतिक्रमण रुक सके।

				जमीन पर निशानदेही राजस्व विभाग द्वारा दि० 13.06.2017 व 14-6-2017 को की गई । पत्रांक सं० 25808-814 दिनांक 06-12-2017 को चेयरमैन पी०जी०सी० ने आदेश दिया कि यह जमीन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की है व अतिक्रमण हटाया जाये । डिमोलिशन का मामला एस टी एफ में लंबित है ।
9	पंकज पुष्कर आदरणीय विधायक, तिमारपुर क्षेत्र दिल्ली (विपरीत रामघाट वजीराबाद)	07-06-2017	मुख्य अभियंता (सि०बा०नि० विभाग)	क्योंकि यह अतिक्रमण का मामला पी०जी०सी० के अंदर विचाराधीन था, इसलिए विभाग ने चेयरमैन पी०जी०सी० को आग्रह किया कि अतिक्रमण को एस०टी०एफ० द्वारा हटवाया जाए । अभी यह मामला तीस हजारी कोर्ट में लंबित है ।
9	पंकज पुष्कर आदरणीय विधायक, तिमारपुर क्षेत्र दिल्ली (विपरीत रामघाट वजीराबाद, विपरीत मदर डेरी व गली नं० 1)	26-06-2017 और 20-11-2017		अतिक्रमण रोकने के लिए इस खंड द्वारा बाउंड्रीवाल की स्कीम बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत रू० 200.07 लाख है तथा दिनांक 08.01.2018 को मुख्य अभियंता के पास टी०ए०सी० में मान्यता देने के लिए भेज दी गई है । शिकायत की पावती की तिथि 26.02.2017 व 20.11.2017 है, तथा रामघाट के विपरीत की जमीन के संदर्भ में यह कहना है कि यह केस तीस हजारी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तथा डिमोलिशन का मामला एस०टी०एफ० में लंबित है । मदरडेरी व गली न० 1 के नजदीक जो अतिक्रमण है, उसके संदर्भ में विभाग ने समय समय पर एस डी एम (सिविल लाईन) एवं एस०एच०ओ० ,तिमारपुर को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखे हैं जिसकी कार्यवाही दिनांक 02.06. 2017, 31.08.

				2017, 01.09.2017 एवं 27.02.2018 कमानुसार अवगत कराई गई है ।
10				इन झुगियों को अन्यत्र बसाने हेतु दूसिब (DUSIB) विभाग के साथ तीन बार दिनांक 20-11-2012, 21-11-2012 और 06-11-2013 को ज्वाइट सर्वे किया जाना था । (DUSIB) से प्राप्त पत्रों की प्रतिलिपियां सलग्न है परंतु झुगियों के कारण सर्वे संभव नही हो सका, क्योंकि झुगियों वाले सर्वे में रूकावट डाल रहे थे और पी0डब्ल्यू0डी0की भूमि सहित पूरी भूमि का सर्वे कराना चाहते थे इस कारण इस मामले में कोई भी कार्यवाही नही हो सकी ।